

फाइल सं० 01/06/GA/2017-FSSAI

**भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
तीसरी मंजिल, एफडीए भवन, कोटला रोड,
नई दिल्ली-110002**

दिनांक 14 अगस्त, 2018

निविदा सूचना

**एफआरएसएल परिसर, इंदिरापुरम्, जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में
बहुमंजिलीय कार्यालय भवन के निर्माण और विकास के लिए सेवा प्रदान करने
हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के चयन के लिए निविदाओं का आमंत्रण**

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) जीएफआर 2017 नियम 133(3) के अंतर्गत पात्र केवल प्रतिष्ठित और अनुभवी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के चयन के लिए सीलबंद लिफाफों में बोलियाँ आमंत्रित करती है। परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता आरएफपी के साथ संलग्न ले-आउट प्लान और आरएफपी के भाग-II में उल्लिखित विवरणों के अनुसार एफआरएसएल परिसर, इंदिरापुरम्, जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में बहुमंजिलीय कार्यालय भवन के निर्माण और विकास के लिए पेशेवर सेवा प्रदान करेगा।

2. निविदा प्रलेख एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल पर उपलब्ध है। विकल्पतः निविदा प्रलेख एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट www.fssai.gov.in और/अथवा सीपीपी पोर्टल www.eprocure.gov.in/epublish/app से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

3. निविदाएँ दो भागों अर्थात् तकनीकी निविदा और मूल्य निविदा में प्रस्तुत की जानी हैं। तकनीकी निविदा में पेशगी राशि जमा, कंपनी का विवरण; संगठनात्मक सामर्थ्य, विशेषज्ञता के मुख्य क्षेत्र, वित्तीय सामर्थ्य, कंपनी की हैसियत, विशेष पुरस्कार/किए गए कार्य के लिए सरकार से कार्यकारिता रिपोर्ट अथवा पिछले पाँच वर्षों की अवधि के अन्य कोई संगत विवरणों के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों के दौरान किए गए ऐसे ही कार्यों के संगत अनुभव के विस्तृत विवरण हों। मूल्य निविदा में एजेंसी शुल्क/पीएमसी सेवा शुल्क प्रतिशत के रूप में बताया जाए। फीस का विवरण आँकड़ों और शब्दों दोनों में प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिया जाए। लागू जीएसटी अलग से दर्शाया जाए और उसका भुगतान उसी अनुसार किया जाएगा। एफ.एस.एस.ए.आई संबंधित प्राधिकरणों को वैधानिक क्लीयरेंस, पंजीकरण शुल्क, वैधानिक शुल्क इत्यादि (यदि कोई दिया गया हो) के लिए दिए गए सभी शुल्कों का भुगतान करेगी। मूल्य निविदा निर्धारित प्रपत्र में हो। निविदा को अवैध घोषित किए जाने से बचने के लिए सीलबंद लिफाफे पर उपर्युक्त शीर्षक, आरएफपी संख्या और निविदा खोलने की तिथि लिखें। निविदादाता निर्धारित तिथि और समय तक निर्धारित संपर्क स्थान पर अपनी निविदा की एक हार्ड कापी और एक सॉफ्ट कापी प्रस्तुत करें।

4. इस आरएफपी के संबंध में निविदाएँ भेजने अथवा कोई स्पष्टीकरण लेने का पता और दूरभाष संख्या निम्नानुसार हैं:

(क) निविदाएँ/स्पष्टीकरण इनको संबोधित किए जाएँ : सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन), भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई), तीसरी मंजिल, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002.

- (ख) निविदाएँ भेजने का डाक पता : सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन), भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई), तीसरी मंजिल, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002.
- (ग) संपर्क व्यक्ति का नाम और पता : रविंद्र कुमार, सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन)।
- (घ) संपर्क व्यक्ति का दूरभाष संख्या : 011-23237442
- (ङ) ई-मेल आईडी : gadmin@fssai.gov.in

5. इस आरएफपी को निम्नानुसार पाँच भागों में बांटा गया है:

- (क) भाग I – इस भाग में सामान्य सूचना और आरएफपी के बारे में निविदादाताओं के लिए निर्देश, यथा निविदा प्रस्तुत करने और खोलने का समय और स्थान, निविदाओं की वैधता अवधि इत्यादि दिए गए हैं।
- (ख) भाग II – इस भाग में अपेक्षित कार्यों/सेवाओं संबंधी आवश्यक विवरण, यथा तकनीकी विशिष्टियाँ, काम पूरा करने का समय, प्रस्तावित कार्य का ले-आउट/विस्तृत डिजाइन इत्यादि दिए गए हैं।
- (ग) भाग III – इस भाग में आरएफपी की मानक शर्तें दी गई हैं।
- (घ) भाग IV – इस भाग में इस आरएफपी के लिए लागू वे विशेष शर्तें दी गई हैं और जो सफल निविदादाता के साथ अनुबंध का हिस्सा बनेंगी।
- (ङ) भाग V – इस भाग में मूल्य निविदाओं के मूल्यांकन के मानदंड और प्रपत्र दिए गए हैं।

6. इस निविदा प्रलेख (आरएफपी) के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँ और निविदादाता द्वारा पत्रशीर्ष पर विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित/मुहर लगा निम्नलिखित घोषणा वाला अलग प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जाए:

“मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि निविदा प्रलेख/आरएफपी में दिए गए सभी निबंधनों और शर्तों को अनुबंध-I के अनुसार निविदादाता कंपनी/फर्म की तरफ से अधोस्ताक्षरी द्वारा बिना किसी शर्त के स्वीकार किया जाता है।”

7. यह आरएफपी बिना किसी वित्तीय वचनबद्धता के जारी किया जाता है और एफ.एस.एस.ए.आई को इसके किसी भाग में किसी चरण पर परिवर्तन करने अथवा उसे बदलने का अधिकार होगा। यदि किसी चरण पर आवश्यक अथवा उपयुक्त समझा जाए तो एफ.एस.एस.ए.आई को आरएफपी को बिना कोई कारण बताए वापस लेने का अधिकार भी होगा।

सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन)
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण